# प्रेस-नोट

## थाना कोतवाली, जनपद झाँसी

दिनाँक- 16.11.2025

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- हत्या के अभियोग में वांछित/25-25 हजार के इनामिया 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/ गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह कारतूस बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनाँक 16.11.25 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत सदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर मु0अ0सं0 359/2025 धारा 3(5)/103(1)/109(1)BNS में वाछिंत 25-25 हजार के इनामिया अभियुक्तगण 1. विनोद यादव पुत्र राजाराम यादव उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम छोटी बनियानी थाना सिमरा जिला निवाडी म0प्र0 2. सचेन्द्र यादव उर्फ चच्चा पुत्र प्रहलाद यादव निवासी ग्राम छोटी बनियानी थाना सिमरा जिला निवाडी म0प्र0 उम्र 25 वर्ष को समय करीब 22.10 बजे नगरिया कुआ से हाईवे की ओर जाने वाले रास्ते के पास पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ में दौरान दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गये। जिन्हे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 361/25 धारा 109(1) BNS-2023 व 3/25 आयुध अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 16.11.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा पूर्व में घटित घटनाओं के अनावरण व तलाश वांछित अपराधीगण आदि में समस्त फोर्स के साथ चैकिंग, सुरागरसी, पतारसी, तलाश वांछित अपराधी तथा मु0अ0सं0 359/2025 धारा 3(5)/103(1)/109(1)BNS में वांछित अभियुक्तगण 1. अभि0 जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र हरीराम प्रजापति निवासी ग्राम रछुन ओरछा थाना ओरछा म0प्र0 2. विनोद यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम छोटी बनियानी थाना सिमरा जिला निवाडी म0प्र0 3. सचेन्द्र यादव उर्फ (चच्चा) पुत्र प्रहलाद यादव निवासी ग्राम छोटी बनियानी थाना सिमरा जिला निवाडी म0प्र0 की तलाश में नगरिया कुआं रोड पर मामूर थे कि मुखबिर ने सूचना दिया कि नगरिया कुआ से हाईवे की ओर जाने वाले रास्ते के मोड़ पर मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण कही जाने की फिराक में है इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा अभियुक्तगणों की तलाश हेतु घेराबन्दी की गयी। पुलिस टीम को अपनी ओर आता देखकर बैठे व्यक्ति उठकर पास की खाली पडी जमीन व झाडियों की ओर भागे तो पुलिस टीम द्वारा ललकारते हुए रुकने को कहा तो अभियुक्तगण अपने आप को पुलिस से घिरता देखकर अपनी गोट से तमंचा

निकालते हुए अचानक खुद को पुलिस से बचाने के लिए पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने कि नियत से फायर करने लगे। जवाबी कार्यवाही में दोनो अभियुक्तो के पैर में गोली लग गयी।

उपरोक्त अभियुक्त गण अपने साथी अभि0 जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र हरीराम प्रजापति निवासी ग्राम रछन ओरछा थाना ओरछा म0प्र0 के साथ मिलकर दिनांक 13/11/2025 को दिन में अंजनी माता के पीछे शिवपरिवार कालोनी में रमेश प्रजापति की हत्या की थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 359/2025 धारा 3(5)/103(1)/109(1)BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. विनोद यादव पुत्र राजाराम यादव उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम छोटी बनियानी थाना सिमरा जिला निवाडी म0प्र0। (घायल)
2. सचेन्द्र यादव उर्फ चच्चा पुत्र प्रहलाद यादव निवासी ग्राम छोटी बनियानी थाना सिमरा जिला निवाडी म0प्र0 उम्र 25 वर्ष। (घायल)

## बरामदगी-

02 अदद तमंचा देशी 315 बोर, 02 अदद खोखा व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,

## आपराधिक इतिहास-

- विनोद यादव पुत्र राजाराम यादव उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम छोटी बनियानी थाना सिमरा जिला निवाडी म0प्र0

1. मु0अ0स0 359/2025 धारा 3(5)/103(1)/109(1)BNS थाना कोतवाली झांसी।
2. मु0अ0सं0 361/25 धारा 109(1) BNS-2023 (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली झांसी।

- सचेन्द्र यादव उर्फ चच्चा पुत्र प्रहलाद यादव निवासी ग्राम छोटी बनियानी थाना सिमरा जिला निवाडी म0प्र0 उम्र 25 वर्ष।

1. मु0अ0स0 140/25 धारा 305ए/331(4)/62 बीएनएस थाना कोतवाली झांसी।
2. मु0अ0स0 269/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली झांसी।
3. मु0अ0स0 271/24 धारा 3/25 आयुध्द अधि0 थाना कोतवाली झांसी।
4. मु0अ0स0 272/24 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना कोतवाली झांसी।
5. मु0अ0स0 205/2020 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना सकरार झांसी।
6. मु0अ0स0 331/202 धारा 380/457 भादवि थाना निवाडी जिला टीकमगढ म0प्र0।
7. मु0अ0स0 359/2025 धारा 3(5)/103(1)/109(1)BNS थाना कोतवाली झांसी।
8. मु0अ0सं0 361/25 धारा 109(1) BNS-2023 (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली झांसी।

## पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मय पुलिस टीम -